File No.71-2002(002)/1/2021-2-
78/2021/I/82244/2021

प्रेषक,

सौरभ बाबू,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

2- निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 24 जुलाई, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत आकस्मिक व्यय मद में आवंटित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-47/2021/71-2-2021-02/2018-टी0सी0-1, दिनांक 08 अप्रैल, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा संस्थानों के आवश्यक व्ययों के वहन हेतु अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है ।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित संस्थान/विश्वविद्यालय को उनके सम्मुख अंकित 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अंतर्गत द्वितीय किश्त के रूप में 5333.33 लाख (रूपये तिरपन करोड तैतीस लाख तैतीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए संबंधित संस्था के निदेशक के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0	**संस्था का नाम**	**लेखाशीर्षक**	**प्राविधानित धनराशि**	**शासनादेश दिनांक 08-04-2021 अवमुक्त धनराशि**	**स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि।**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
				धनराशि लाख में	
1	संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	2210-05-105-03- 0309-संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ-20 सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	20000.00	3333.33	3333.33
2	डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	2210-05-105-03- 0325- डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ-20 सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	12000.00	2000.00	2000.00
				योग	**5333.33**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

(3) धनराशि का आहरण वास्तविक आवयकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।

(4) प्र0वि0 द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च , 2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।

4- धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-342/दस-2021-2022 दिनांक 17 जुलाई, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सौरभ बाबू)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
4. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. वित्त अधिकारी, संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6. वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
7. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in